न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 103/2018

हेमन्त कुमार पुत्र श्री किशन गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम बमोरीकलां मांगरोल जिला बारां

...वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. ब्रजेश कुमार पुत्र श्री किशन गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां
2. किशनगोपाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री मनोज कुमार आर्य

निर्णय दिनांक : 12.11.2018

दायरा दिनांक: 23.08.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी कम 1 और 2 कमशः वादी के भाई व पिता है। वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी खाता संख्या 59 खसरा नं0 701 रकबा 2.10 है0, खसरा नं0 737 रकबा 0.84 है0 किता 2 कुल रकबा 2.94 है0 किस्म नहरी प्रथम लगान 94 रू0 8 पैसे वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल में स्थित है जिसे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 की पैतृक आराजी है जो प्रतिवादी कम 2 वादी के पिता को वादी के दादाजी श्री भैरूलाल जी से बतौर विरासत में प्राप्त हुई है। प्रतिवादी कम 2 जो वादी के पिताजी है को उक्त विवादित आराजी खाता संख्या 59 किता 2 रकबा 2.94 है0 ग्राम बमोरीकलां विरासत से प्राप्त हुई है। जो वर्तमान में प्रतिवादी कम 2 के खाते राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी क्रम 1 को अपना हिस्सा प्राप्त है इस प्रकार उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है। जिस पर वह निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। वादी विवादित आराजी में अपना हिस्स 1/3 पर काबिज है तथा नियमित रूप से काश्त करता चला आ रहा है किन्तु आराजी अपने नाम दर्ज नही होने के कारण आराजी पर किसान केडिट कार्ड व अन्य लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। इसलिए वादी अपने हिस्से 1/3 के खातेदार कृषक घोषित करवाने का कानूनी अधिकारी है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी सादिर फरमायी जावें कि:-

1. ... विवादित आराजी खाता संख्या 59 किता 2 रकबा 2.94 है0 ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल पर हिस्सा 1/3, 1/3 पर वादी व प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के बीच मद नं0 3 में वर्णित विवादित आराजी को उनके मौखिक बंटवारे अनुसार 1/3, 1/3 पृथक खाता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी कम 3 को दिया जाये तथा अलग से राजस्व लगान निर्धारित किया जावें। व प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वादी की हिस्सा आराजी 1/3 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और नही आपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 23.08.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण कम 1 व 2 द्वारा दिनांक 24.09.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा अनुसार प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा वाद पत्र की समस्त मद स्वीकार की है एवं निवेदन किया है कि वादी के हक तक वाद स्वीकार है एवं ग्राम बमोरीकलां की खाता संख्या 59 खसरा नं0 701 रकबा 2.10 है0, खसरा नं0 737 रकबा 0.84 है0 किता 2 कुल रकबा 2.94 है0 आराजी में वादी को 1/3 का हिस्से दार घोषित किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है। एवं प्रतिवादी कम 2 ने अपने जवाब दावे में अंकन किया कि प्रतिवादी कम 2 के दो पुत्र कमशः वादी हेमन्त कुमार व प्रतिवादी कम 1 ब्रजेश कुमार एवं दो पुत्रियां कमशः रमा व प्रीति है एवं उक्त आराजी में प्रतिवादी कम 2 व उसके के दो पुत्र व दो पुत्रियों का बराबर–बराबर अर्थात 1/5–1/5 हिस्सा निहित है। एवं आगे निवेदन किया कि ग्राम बमोरीकलां की खाता संख्या 59 खसरा नं0 701 रकबा 2.10 है0, खसरा नं0 737 रकबा 0.84 है0 किता 2 कुल रकबा 2.94 है0 आराजी में वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के साथ प्रतिवादी कम 2 की पुत्रियां कमशः रमा व प्रीति को भी 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

पत्रावली में वादी हेमन्त कुमार पुत्र श्री किशन गोपाल व प्रतिवादी कम 1 व 2 तथा प्रतिवादी कम 2 किशनगोपाल पुत्र भैरूलाल की दो पुत्रियां रमा पुत्रि किशनगोपाल व प्रिति पुत्री किशनगोपाल के बयान कराये गयें। प्रतिवादी कम 2 की पुत्रिया रमा पुत्रि किशनगोपाल व प्रिति पुत्री किशनगोपाल के बयान में निवेदन किया कि ग्राम बमोरीकलां की खाता संख्या 59 खसरा नं0 701 रकबा 2.10 है0, खसरा नं0 737 रकबा 0.84 है0 किता 2 कुल रकबा 2.94 है0 में वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 प्रत्येंक को 1/3–1/3 का हिस्सेदार घोषित किये जाने में उन्हे किसी प्रकार की आपत्ति नही है एवं उक्त इन्द्राज किये जाने में पूर्णतः सहमत है। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल फोटो प्रतिलिपि स्टाम्प विकय पत्र दिनांक 04.09.1964 व नकल जमाबंदी ग्राम बमोरीकलां खाता संख्या 59 दिनांक 13.04.2018।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 12.11.2018 को वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। सुनी गयी बहस, प्रस्तुत दस्तावेज तथा वादी व प्रतिवादी कम 1 व

द्वारा इकबालिया जवाब व प्रतिवादी कम 2 की पुत्रियां कमशः प्रीति व रमा के बयानो के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बमोरीकलां तह0 मांगरोल जिला बारां कि आराजी खाता संख्या 59 खसरा नं0 701 रकबा 2.10 है0, खसरा नं0 737 रकबा 0.84 है0 किता 2 कुल रकबा 2.94 है0 में वादी हेमन्त कुमार, प्रतिवादी कम 1 ब्रजेश कुमार व प्रतिवादी कम 2 किशनगोपाल को कमशः 1/3–1/3–1/3 हिस्से का खातेदार कृषक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन